



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

कार्यालय

आयकर आयुक्त

16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर, (राज.)

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/2010-2011/ 1944

दिनांक : 14.10.2010

आदेश :-

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी सहपठित नियम 11AA के अधीन छूट ।

— 00 —

दानदाताओं द्वारा **नव सार्थक फाउण्डेशन, श्री राम भवन, कालिका माता रोड़, बाँसवाड़ा (PAN AAAAN9185A)** को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे ।

यह छूट 01.04.2010 (~~आवेदन की तिथि~~) से 31.03.2012 तक को समाप्त अवधि/कर निर्धारण वर्ष 2012-13 तक निम्नांकित शर्तों के साथ मान्य होगी :-

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है ।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिट्ठा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो सालाना प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

SD/-

(एस. पी. मीणा)

आयकर आयुक्त

उदयपुर

नोट :-

इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संस्था को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चों की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुण्यार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करती हो ।

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/न्यासी **नव सार्थक फाउण्डेशन, श्री राम भवन, कालिका माता रोड़, बाँसवाड़ा ।**
2. आयकर अधिकारी, बाँसवाड़ा को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि संस्था/प्राथी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्वयं जांच-पड़ताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तों को निरन्तर पूरा करता है ।
3. अपर आयकर आयुक्त, चित्तौड़गढ़ रेंज, चित्तौड़गढ़ ।

(क. आर. बावल)

आयकर अधिकारी (तक)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

कार्यालय

आयकर आयुक्त

16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर, (राज.)

विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन
न्यास/संस्था का पंजीकरण -

नव सार्थक फाउण्डेशन, श्री राम भवन, कालिका माता रोड़, बाँसवाड़ा
PAN AAAAN9185A

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 31.12.2007 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12ए के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2010 को प्रस्तुत किया है।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयबद्धि में है।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था।

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा -12ए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 01.04.2010 (जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया गया है उसके प्रथम तिथि से) से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा -12ए के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर संख्या 73/47 पर दर्ज कर लिया गया है।

(एस. पी. मीणा)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/12ए/2010-11/1944 दिनांक: 14-10-2010

1. अध्यक्ष / न्यासी नव सार्थक फाउण्डेशन, श्री राम भवन, कालिका माता रोड़, बाँसवाड़ा।
2. आयकर अधिकारी, बाँसवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा - 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा -12ए के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने - आप धारा -11 और 80 जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता है।
3. अपर आयकर आयुक्त, चित्तौड़गढ़ रेंज, चित्तौड़गढ़।

(के. आर. बावल)
आयकर अधिकारी (तक)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर